पश्चिम मध्य रेलवे West Central Railway

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना निशातपुरा, भोपाल—462010 दिनांक:—22.02.2021

संडिपुका / भो / भर्ती / प्रशिक्षण / व्य.प्र.भर्ती / 2020-21

अधिसूचना(क्रमांक—01 / 2021)

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की मर्ती (सत्र:-2020-2021)

opening date of online application	closing date of online application
01.03.2021	30.03.2021

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे, सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, भोपाल में वर्ष 2020—2021 के लिए 165 ट्रेड अप्रेंटिसों के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु एम.पी.ऑनलाईन पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तारीख तक आवेदन करें।

1. अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवाईज सीटों की संख्या एवं आवश्यक योग्यता निम्नानुसार होगी-

ट्रेड का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी	State Committee		आरक्षित सी	टों की संख्या			
	योग्यता (अधिसूचना जारी दिनांक 22.02. 2021 को)	कुल सीटों की संख्या ट्रेड अनुसार	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि. वर्ग	EWS	प्रशिक्षण अवधि
फेटर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा फिटर व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)	45	20 January	06	03	12	04	01वर्ष
वेल्डर (गैस एंड इलैक्ट्रिक)	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल / मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा वेल्डर(Gas & Electric) व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)	28	13	04	02	07	02	01वर्ष
इलैक्ट्रीशियन	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल / मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)	18	10	02	01	04	01	01वर्ष

कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	Assistant Trade) में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT) साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 10वीं की अंकतालिका भी आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड़ करना है।	08	05	01	0	02	0	01 वर्ष
सेक्रिटेरियल असिसटेंट (अग्रेजी)	निर्धारित व्यवसाय (SECRETARIAL ASSISTANT-English) में आई.टी. आई उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT) साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 10वीं की अंकतालिका भी आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड़ करना है।	05	04	0	0	01	0	01 वर्ष
पेंटर(जनरल)	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल / मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा पेंटर व्यवसाय में आई.टी.आई. उत्तीर्ण(Affilatedto NCVT/SCVT)	10	06	01	0	02	01	01 वर्ष
कारपेंटर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल / मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा कारपेंटर व्यवसाय में आई.टी.आई. उत्तीर्ण(Affilated to NCVT/SCVT)	20	10	03	01	05	01	01 वर्ष
पलम्बर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल / मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा पलम्बर (Plumber)व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)	08	05	01	0	02	0	01 वर्ष
ड्राफ्टमैन (सिविल)	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित व्यवसाय— द्राफ्टमैन(सिविल) व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)	02	02	0	0	0	0	01 वर्ष

Janua -

टेलर(जनरल)	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत	05	04	0	0	01	0	01वर्ष
	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष							
	परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत							
	अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित							
	व्यवसाय- टेलर(जनरल) व्यवसाय में							
	आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to							
	NCVT/SCVT)							
मैकेनिक	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत	07	05	01	0	01	0	01वर्ष
डीजल	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं							
	(हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष							
	परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत							
	अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित	9			-			
	व्यवसाय- मैकेनिक डीजल व्यवसाय में							
	आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to							
	NCVT/SCVT)							
मैकेनिक	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत	04	03	0	0	01	0	01वर्ष
ट्रेक्टर	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं							
	(हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष							
	परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत							
	अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित व्यवसाय में	Charles Charles Andrews						
	आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affilated to						2	
	NCVT/SCVT)							
	All San Barrell March					01	0	01वर्ष
ऑपरेटर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं	05	04	0	0	01	U	0144
एडवांस्ड						,		
मशीन टूल	(हाईस्कूल / मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत							
	अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित			A ASS				
	व्यवसाय-ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन दूल	and the second s	77/					
		- A A	TI officer and	March College Co.	1	1.		1
	/मशीनिष्ट/टर्नर व्यवसाय में आई.टी.							
	I STATE OF THE PARTY OF THE PAR				8			

नोट:—अधिसूचना में दर्शाए गई ट्रेडवाईज प्रशिक्षुओं की सीटों की संख्या अनंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

2.आयु-सीमा-

2.1 अधिसूचना जारी होने के दिनांक 22.02.2021 को आवेदक ने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 24 वर्ष

की आयु पूर्ण न हो।

2.2 अजा / अजजा के अभ्यर्थी को 05 वर्ष तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 03 वर्ष एवं शारीरिक दिव्यांग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की अधिकतम छूट देय है। भूतपूर्व सैनिको को भी नियमानुसार छूट रहेगी जो कि अधिकतम 10 वर्ष होगी।

3.फीस—आवेदन शुल्क के रूप में रू 100 / — एवं पोर्टल शूल्क रू 70 / + देय GST का भुगतान करना होगा। अनु. जा,अनु.ज.जा, शारीरिक दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देय नहीं है परन्तु पोर्टल शुल्क सभी को देय होगा। फीस Non-refundable होगी।

4. निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेन्टिस प्रशिक्षण हेतु भूतपूर्व सैनिक (Ex. Servicemen), उनके बच्चों तथा आर्मड फोर्स व्यक्तियों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद फिटर—01, वेल्डर—01, इलैक्ट्रीशियन—01 एवं कारपेंट्रर—01 में आरिक्षत रहेंगे एवं अभ्यर्थी को उनके समुदाय की सीटों में से आरक्षण प्रदान किया जाएगा। रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(MPP)2002/6/10 Dated 31.07.2006(RBE No.101/2006) के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों में निम्न शामिल है:— 1.शान्ति समय के दौरान उन मृत/अक्षम सिहत दिवंगत/अक्षम भूतपूर्व सैनिक/ आर्मेड फोर्स जवानों के बच्चे। 2.अवकाश प्राप्त सैनिक/आर्मेड फोर्स जवानों के बच्चे। 3.कार्यरत जवानों/आर्मेड फोर्स जवानों के बच्चे। 4.कार्यरत सैनिक अधिकारी एवं आर्मेड फोर्स अधिकारी के बच्चे। 5.भूतपूर्व सैनिक।

5. शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को फिटर, वेल्डर एवं इलैक्ट्रीशियन में निम्नानुसार श्रेणी वाले (केवल शारीरिक अशक्त दिव्यांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक है) पात्र होंगे। दिव्यांगों के लिए आरक्षण नियमानुसार दिया जायेगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को केन्द्र या राज्य संरकार के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध अशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ,जिसमें दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत का साफ उल्लेख होना चाहिए और फोटो मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। दिव्यांग कोटे के लिए 4 प्रतिशत पद निम्नानुसार आरक्षित रहेगे— फिटर—02,वेल्डर—01, इलैक्ट्रीशियन—01, कारपेंटर—01कुल 05 पद। दिव्यांगों की ट्रेड वाइज पात्रता निम्नानुसार है— 1-Welder/Electrician =(a)Hearing impairment-D,HH, (b)Locomotor Disabilities-OL,LC,DW,AAV. 2-Fitter =(a)Visual impairment-B,LV, (b)Hearing impairment =D,HH, (c)Locomotor Disabilities-OL,BL,LC,DW,AAV.3.Carpenter-OL,HH

B=Blind,LV=Low Vision,D= Deaf,HH=Hard of Hearing,OL=One Leg,BL=Both Legs,LC=Leprosy Cured.DW=Dwarfism.AAV=Acid Attack Victim.

यदि किसी एक केटेगरी में उम्मीदवार नहीं मिलता है तो दूसरी केटेगरी से सीट भर ली जाएगी। दिव्यांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सीटें अलग से आरक्षित नहीं हैं बल्कि दिव्यांग अभ्यर्थी जिस वर्ग का है उसे संबंधित ट्रेड में उसी वर्ग में से आरक्षण दिया जाएगा और गणना में लिया जाएगा।

- 6. Economically Weaker section(EWS) के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अधतन आय एवं संपत्ति का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। मेरिट के अनुसार चयन होने पर EWS अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त के अधीन होगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अधतन EWS का प्रमाण—पत्र सत्यापन में सही पाया जाए।
- 7 पारिश्रमिक/स्टाईपेन्ड —द्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम दरों से नियमानुसार पारिश्रमिक/स्टाईपेन्ड का भुगतान किया जाएगा।
- 7.1—चिकित्सा परीक्षण (शारीरिक मानक)—दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गये उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप (Annexure-IV) में जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें केन्द्रीय / राज्य सरकार के अधिकृत डाक्टर(राजपत्रित) द्वारा उम्मीदवार के सत्यापित फोटो हस्ताक्षरित व सील मुहर होनी चाहिए। (केन्द्रीय / राज्य सरकार के सहायक सर्जन के पद के नीचे का ना हो।)
- 8. आवेदन का तरीका-
 - 8.1 इच्छुक पात्र अभ्यर्थी www.mponline.gov.in की वेबसाईट पर Home Page में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
 - 8.2 ऑनलाईल आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास आधार कार्ड नहीं है एवं आधार कार्ड बनाने के लिए नामांकन किया है परंतु नया आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाईन आवेदन करते समय Aadhaar enrolment slip में दर्ज Aadhaar enrolment ID डाल सकते हैं।
 - 8.3 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, स्वयं की जन्मतिथी, 10वीं,आईटीआई के प्रमाणपत्र एवं अन्य समकक्ष प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी समान होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
 - 8.4 यदि उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए एक से अधिक आवेदन अलग—अलग विवरणों के साथ, भिन्न—भिन्न ई—मेल आई.डी व मोबाईल नंबर के साथ आवेदन करते है तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

Mr Halan

- 9. चयन की प्रणाली-
- 91.जम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना के अन्तर्गत आई.टी.आई पास जम्मीदवारों की योग्यता सूची (Merit List) बनाई जाएगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नहीं होगी। मेरिट लिस्ट का आधार केवल 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर रहेगा।
- 9.2.10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों, संबंधित बोर्ड के नियम के आधार पर की जाएगी। जिन बोर्ड में प्रत्येक विषय का CGPA दर्शाया जाता है उनके लिए 10वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना के लिए सभी निर्धारित विषयों में प्राप्त ग्रेडों का मिडपोइंट लिया जायेगा एवं उसके औसत की गणना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विषय के कुल अंक को 100 माना जायेगा।
- 9.3 यदि दो उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो जो उम्मीदवार उम्र में बढ़ा होगा उसे प्रधानता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्मतिथि भी समान हों तो उस परिस्थिति में जिस उम्मीदवार ने पहले दसवी कक्षा पास की है उसे प्रधानता दी जाएगी।
- 9.4. यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो तो वह संख्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सीटों के मामले में यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों उपलब्ध न हों वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।
- 9.5 यदि उपरोक्त बताए तरीके से भी एस.सी / एस.टी उम्मीदवारों की संख्या न भरी जा सके तो रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार अन्य पिछडा वर्ग / EWS की रिक्त सीटों का उनके उपलब्ध न होने पर भी अनारक्षित द्वारा भरा जाएगा।
- 9.6 अपेक्षित एक्ट अप्रेंटिस की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा जिनकी लिस्ट www.mponline.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।
- 9.7 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता / ट्रैवलिंग या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- 10. आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

उम्मीदवारों को आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित scanned copy अपलोड करनी होगी।

- 10.1 SSC(Standard 10th) या समकक्ष परीक्षा की अंकसची।
- 10.2 प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो(10वी का प्रमाणपत्र/समकक्ष प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो)।
- 10.3 NCVT/SCVT द्वारा जारी NATIONAL TRADE CERTIFICATE OR PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE.
- 10.4 SC/ST/OBC/EWS का जाति प्रमाण पत्र—निर्धारित फारमेट(Annexure-I,II,III)के अनुसार जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। OBC उम्मीदवारों को Non Creamy Layer का भी प्रमाण पत्र देना होगा, जो 01.04.2020 या उसके बाद का जारी हो।
- 10.5 DISABILITY CERTIFICATE- निर्धारित प्रारूप(Annexure-V)के अनुसार जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 10.6 DISCHARGE CERTIFICATE/SERVING CERTIFICATE-भूतपूर्व सैनिकों कोटे के विरूद्ध आवेदन करने पर निर्धारित प्रारूप में DISCHARGE CERTIFICATE/SERVING CERTIFICATE अपलोड करना होगा।
- 10.7 12th PASS CERTIFICATE(FOR COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT TRADE AND SECRETARIAL ASSISTANT TRADE)
- 11. RDAT की वेबसाईट पर पंजीयन की प्रक्रिया:— जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, उन सभी अभ्यर्थियों को वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in पर जाकर APPRENTICES MENU के अंदर Apply for apprenticeship ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर RDAT MADHYA PRADESH(BHOPAL) Region

पर जाकर CHIEF WORKSHOP MANAGER, COACH REHABILITATION WORKSHOP, NISHATPURA, BHOPAL के लिए apply करना होगा जिसके बाद पंजीयन संख्या प्राप्त होगी जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

- 12. दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक दस्तावेज:-
- 12.1 मद क्रमांक 10 में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।
- 12.2 जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, उन सभी अभ्यर्थियों को शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक(राजपत्रित, जो केन्द्रीय/राज्य चिकित्सालय में असिसटेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4(समय—समय पर संशोधित)के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (Annexure-IV)।
- 12.3 दस्तावेज़ों के सत्यापन के समय स्क्रीनिंग के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो को केन्द्रीय सरकार के प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन प्रमाण पत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का साफ उल्लेख होना चाहिए। (Annexure-I)
- 12.4 दस्तावेजों के सत्यापन के समय स्क्रीनिंग के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण जो दिनांक 01.04.2020 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो वह Annexure-II प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। EWS के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार के प्रारूप Annexure-III में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो 01.04.2020 को या उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- 12.5 चार पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- 12.6 आधार कार्ड, फोटो सत्यापित पहचान पत्र, आर.डी.ए.टी भोपाल का पंजीयान क्रमांक(मद क्रमांक 11 देखे), ऑनलाईन आवेदन का printout एवं Fees receipt.

🕨 फोटो सत्यापित पहचान पत्रों की सूची:--

- 1.आधार कार्ड
- 2.मतदाता पहचान पत्र
- 3.ड्राईविंग लाईसेंस
- 4.पासपोर्ट
- 5.पैन कार्ड
- 6.बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित फोटोयुक्त पासबुक
- 13. होस्टल / आवास प्रदान नहीं किया जायेगा। तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 14. एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। यह केवल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- 15. ट्रेनिंग का करार— ट्रेड अप्रेटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि वह अभी नाबालिंग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लायर के साथ अप्रेंटिशिप का करार करना होगा।
- 15.1 यदि प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस अनुबंध के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा और प्रशिक्षु / जमानतदार को अप्रेंटिस सलाहकार द्वारा निर्धारित उसके प्रशिक्षण के ऊपर खर्च राशि का भुगतान करना होगा।
- 16. जिन्होने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी का किसी कारण से आर.डी.ए.टी/भोपाल में contract generate नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसने प्रशिक्षण ज्वाईन कर लिया है तो उसे प्रशिक्षण से हटा दिया जाएगा।

- 17. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जायेगा। पशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महा निदेशक / डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 18. उम्मीदवार के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत / झूठी सूचना दी है, तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जावेगा।
- 19. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा एवं यदि उक्त प्रशिक्षुओं के चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में कोई नीतिगत परिवर्तन मुख्यालय आदि से प्राप्त होते हैं तो चयन का मापदण्ड तदानुसार अपनाया जायेगा।
- 20. आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाईल नंबर, ई—मेल आई.डी दोनों स्वयं का हो एवं वैध हो क्योंकि उम्मीदवार से सभी प्रकार का संप्रेषण ई—मेल के माध्यम से होगा एवं माना जाएग कि वह अभ्यर्थी ने पढ़ लिया है। नियमित रूप से ई—मेल आई.डी की जाँच करना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। दूसरे के नाम के मोबाईल नंबर/ई—मेल आई.डी से आवेदन न करें अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार Online माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मदार होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई त्रुटि हुई हो, तो सडिपुका प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, RDAT भोपाल पंजीयन का पंजीयन क्रमांक सहित प्रिंटआउट, शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता (10th,12th का अंकपत्र / प्रमाणपत्र, consolidated ITI मार्कशीट), जन्म तिथि के प्रमाणपत्र व सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य वैध पहचान पत्र, आरक्षण के दावे हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र, शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक(राजपत्रित, जो केन्द्रीय / राज्य चिकित्सालय में असिसटेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4(समय—समय पर संशोधित)के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन की मूल प्रति के बिना किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

चयनित उम्मीदवारों की सूची पमरे की वेवसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in .एवं www.mponline.gov.in .में अपलोड की जायेगी तथा सभी प्रकार के पत्राचार ई—मेल द्वारा किया जायेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का पोस्टल पत्राचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी:—आवेदन करने के अंतिम दिनों में वेबसाईट ओवरलोड से बचने के लिए आवेदको कों सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा के पहले अपना आवेदन आनलाईन सफलतापूर्वक भरें। यदि आनलाईन फार्म भरते समय किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न होता और समयसीमा निकल जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

संलग्न—आवश्यक नियम और निर्देश—Annexure-VI एवं

प्रारूप Annexure-I to V

(जे.आर.कोठारी) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक सहिएका /भोपाल

> पश्चिम मध्य रेल सडिपुका, भोपाल.

Sr. Personnel Officer
Coach Rehabilitation Workshop
West Central Railway, Bhopal

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

inis is to certify that	Shri*/Shrimati/Kumari		Son/Daughter of
	Village/Town	·	/District/Division*
	of the	State/Union Terr	ritory belongs to the
	Caste*/Tribe which is recognis	sed as a Scheduled Caste/Tribe	under:
*The Constitution Scheduled Ca	stes Order, 1950.		
*The Constitution Scheduled Tri	bes Order, 1950.		
The same of the sa	astes) (Union Territories) (Part C States) On		
	ribes) (Union Territories) (Part C States) O		:
	Castes and Scheduled Tribes List (Modificate of Himachal Pradesh Act, 1970, the Nomendment) Act, 1976.]		
	(ashmir)* Scheduled Castes Orders, 1956.		
The Constitution (Andaman ar	d Nicobar Islands) Scheduled Tribes Or	der, 1959, as amended by the Scheduled	Castes and Scheduled Tribes
Orders (Amendment) Act, 1976			
	agar Haveli)* Scheduled Castes Order, 196		
The Constitution (Pondicherry)	agar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1965	2.	
*The Constitution (Uttar Pradesh			
	and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.		
	and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.		
*The Constitution (Nagaland) Sc	heduled Tribes Order, 1970.		
*The Constitution (Sikkim) Sche	duled Castes Order, 1978		
*The Constitution (Sikkim) Sche		The street of th	
	shmir) Scheduled Tribes Order, 1989.		
*The Constitution (SC) Orders (A	Amendment) Ordinance Act, 1991.		
	Amendment) Ordinance Act, 1996.	Mark Tollers Box 1	
and the same of th	astes) Orders (Amendment) Act, 2002.		
*The Constitution (Scheduled Ca	astes) Orders (Second Amendment) Act, 20	02.	
*The Scheduled Castes and Sche	duled Tribes Orders (Amendment) Act, 200	02.	
	ne case of Scheduled Castes/Sch	neduled Tribes persons who ha	ve migrated from one
State/Union Territory A	dministration.		
This certificate is issue	ed on the basis of the Schedu	uled Castes/Scheduled Tribes	Certificate issued to
Shri/Shrimati*	father/mothe		Shri/Shrimati/Kumari
Simi/Siminati	THE TRANSPORT OF THE PARTY OF T	(18) 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	of Village/Town*		n /District/Division*
	f the State/Union Territory*		who belongs to the
C	aste*/Tribe which is recognis	sed as a Scheduled Caste/Sch	neduled Tribe in the
Station/Union Territory	* issued by the	dated	<u>.</u> . 1 . /
3. Shri/Shrimati/K	umari* and /or* his/her*	family ordinarily reside(s)	in Village/Town*
	District/Division	NAME OF THE OWNER O	
	District/Division	1 of the State/Office	ii Territory or
Dlaga		Signature	
riace		Designation	
		,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—,	
		(with seal of Office)	
		(with seal of Office)	
PlaceDate		,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—,	
	ire not applicable.	(with seal of Office)	
Date	tial Order	(with seal of Office)	

Note: (a) The term 'ordinarily reside'(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of People

The Caste Certificate must be issued by the Competent Authorities in the above prescribed format. The Competent Authorities are enumerated here under:

- District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.
- $Chief\ Presidency\ Magistrate/Additional\ Chief\ Presidency\ Magistrate/Presidency\ Magistrate.$
- Revenue Officer not below the rank of Tehsildar; and
- Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Ref no:- (O.M.NO.36012/6/88-Estt. (SCT) dated 24.4.1990 and OM No.36012/22/93-Estt(Res) dated 15.11.1993 & OM No. 36011/3/2009-Estt(Res) dated 02.09.2009).

OBC CERTIFICATE FORMAT

FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.

This is to certify	that Shri/Smt/Kum*	
Son/Daughter*	of Shri	of Village /Town
	in	
	zed as backward class under	
 Resolution I No. 186 date Resolution I 	No. 12011/68/93-BCC@dtd 10th Septemed 13th September 1993. No. 12011/9/94-BCC dated 19th October	ber 1993, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section 1 1994, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No
	:0th October 1994. No. 12011/7/95-BCC dtd 24th May 1995 Iay 1995.	, Published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No. 88
210, dated 1	1th December 1996.	1996, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No
 Resolution 1 Resolution 2 Resolution 3 	No. 12011/12/96-BCC, Published in Ga No. 12011/99/94-BCC, Published in Ga No. 12011/13/97-BCC, Published in Ga No. 12011/12/96-BCC, Published in Ga No. 12011/68/93-BCC, Published in Ga No. 12011/68/98-BCC, Published in Ga No. 12011/88/98-BCC, Published in Ga No. 12011/36/99-BCC, Published in Ga	exette of India – Extra Ordinary – No. 129, dated the 8th July 1997. Exette of India – Extra Ordinary – No. 164 dated the 1st Sept. 1997. Exette of India – Extra Ordinary – No. 236 dated the 11th Dec. 1997. Exette of India – Extra Ordinary – No. 239 dated the 3rd Dec. 1997. Exette of India – Extra Ordinary – No. 166 dated the 3rd August 1998. Exette of India – Extra Ordinary – No. 171 dated the 6th August 1998. Exette of India – Extra Ordinary – No. 241 dated the 27th Oct. 1999. Exette of India – Extra Ordinary – No. 270 dated the 6th Dec. 1999. Exette of India – Extra Ordinary – No. 71 dated the 4th April 2000.
Shri/Smt/Kum*_	Final Colonia	and / or his/her family ordinarily reside(s) in the
	District of the	State. This is also to certify that he/she does not
belong to the per	The second secon	ed in Column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of
		Γ) dated 08.09.1993) and modified vide Government of India, Department
of Personnel and	Training O.M. No. 36033/3/2004/Estt.	RES). dated 09.03.2004.
Place: Date:		District Magistrate/ Dy. Commissioner etc (with seal of office)
b. Where	the certificates are issued by Gazetted	ne meaning as Section 20 of the representation of the People Act. 1950. Officers of the Union Government or State Governments, they
snould	by Gazetted officers and attested by Di	by the District Magistrate or Dy. Commissioner (Certificates trict Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient).
c. The OI	BC certificate from the authorities only	will be accepted
1.		t Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy
	Commissioner/Deputy Collector /I" (lass Stipendiary Magistrate/Extra-Assistant Commissioner (not
	below the rank of I" Class stipendiary Magistrate/Executive Magistrate.	Magistrate)/ *Subdivisional Magistrate/Taluka
2. 3.		nal Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
4.		ere the candidate and/or his family normally resides.

MICALLY WEAKER
son/daughter/wife of, Village/Street State/Union Territory below belongs to nily"** is below Rs. 8 nily does not own or
caste which is not (Central List)
fice

^{*}Note1:. Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

^{**}Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

^{***}Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

SCHEDULE-II (See Rule 4)
(Medical Fitness Certificate for Standard of Physical Fitness for Act Apprentice Training.

Name of the Candidate:	
Father Name:	
Category:	Photo to be attested by the
Date of Birth/Age :	Civil Surgeon who is giving the
Trade & Nam of Workshop/Unit:	certificate with Signature and
Permanent identification marks 1	Seal

SN	Standard of Physical Fitness	Observation of Medical Officer
1	A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.	
2	Height, Weight and Chest Candidates should satisfy the following minimum standards, namely:- Height: 137 centimeters; Weight: 25.4 Kilogram; Chest expansion should not be less than 3.8 centimeters irrespective of size of Chest: Provide that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted) to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.	
3	EYES There Should be no evidence of any morbid condition of either eye of the lids of either eye which may be liable to risk of aggracation of recurrence. Standard of Vision (A) Visual acuity: *Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades namely:-(1) Electrician Aircraft (2) Watch and Clock Mechanic (3) Driver cum fitter (4) Surveyor (5) Process Cameraman (6) Sirdar (7) Rigger(Engg. & Chem. Industry) (8) Shortfirer/Blaster(Mines) (9) Mate (Mines) (10) Mech. Radio & Radar Aircraft (11) Ceramic Modular (12) Ceramic Caster (13) Ceramic Kiln Operator (14) Ceramic Press Operator (15) Ceramic Modeller (16) Ceramic Decorator (17) Optical worker. *Substitute vide GSR 221 dated 21st April 1993. (B) Colour vision: Not required.	
4	EARS Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.	
5	SKIN There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.	

6.	SPEECH
	Speech should preferably be without impediment
7	ALIMENTARY SYSTEM
1	1. Candidate should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication.
	2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no
	evidence of tenderness in the splenic area.
	3. Liver should not be palpable or tender.
	4. There should be no oral sepsis.
	5. There should be no sugar in the urine.
-	6. Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and testis
	anal hernia or bubonocele or ischio-rectal abscess or hydrocele.
	CARRYO MAGGINA D GWGMRYA
8	CARDIO VASCULAR SYSTEM 1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic.
	2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be
	rejected.
	3. There should be no sign of any cardiovascular disease
9	RESPIRATORY SYSTEM
	Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There
	should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.
10	GENITO URINARY SYSTEM
	There should be no evidence of genitor urinary disease or any
	abnormality.
11	
	SKELETAL SYSTEM
	1. The function of all limbs should be within normal limits.
	2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column
	or of the extremities.
	Comment of the second of the s
12	NERVOUS SYSTEM
	There should be no evidence of any diseases of nervous system or of any
	mental disease.
13	GLADNULAR SYSTEM
13	There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular
	system including the endocrine glands.
14	X'RAY OF LUNGS
15	URINE SUGAR
16	BLOOD GROUP
Abov	e medical fitness certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), not below rank
	st. Surgeon of Central State Hospital.
UI AS	st. Surgeon of Central State Hospital.
S	ignature of Medical Officer
	lame of Medical Officer
	egistration No.
	esignation :
	me of Central/State Gove. Hospital
	I of Medical Officer signing the certificate :
	-00

FORM-PwD (II)

Form-II

Disability Certificate

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)

(See rule 4)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTH	HORITY ISSUING THE CERTIFICATE
Recent PP size	CERTIFICATE)
Attested	
Photograph (Showing face	
only) of the person	
with disability	
Certificate No.	Date:
This is to certify that I have carefully examined	
Shri/Smt./Kum	
son/wife/daughter of Shri	Dota
of Birth (DD / MM / YY) Age	vears, male/female
Registration Nopermanent	t resident of House No
DistrictStateState	21/193
whose photograph is affixed above, and am sat	isfied that :
A) he/she is a case of:	
locomotor disability	Account on Carrier Control
• blindness	De Marine Commence Co
Please tick as applicable)	
B) the diagnosis in his/her case is	A commence of family 100 cm
A) He/ She has%(in figure)	
vords) permanent physical impairment/blindne	percent (in
ody) as per guidelines (to be specified).	part of(part of
. The applicant has submitted the following doo	Cument as proof of recidence.
ature of Document Date of Issue Details of a	uthority issuing certificate
	, and a second
ignature and Seal of Authorised Signatory of	
otified Medical Authority)	
Signature/Thumb	
impression of the	
person in whose	
favour disability	
certificate is	

Form-III

Disability Certificate

(In case of multiple disabilities)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE) (See rule 4)

Att	cent PP size ested otograph	е		
(Sh	nowing face y) of the person			
3.600	h disability			
Certi	ficate No.			Date:
This	is to certify that	we have carefully e	examined	
	Smt./Kum			
		of Shri		
Date	of Birth (DD / M	M / YY)	Age	years, male/female
Regis	stration No		р	ermanent resident of House No
War	d/Village/Street_			10000
		/60 mm and a second	n .	ctState,
		affixed above, and		- A
		ARREST ACCOUNTS AND A CONTRACTOR		extent of permanent physical
		#XX	Sallie on the State of the State of	uidelines (to be specified) for the
disak	oilities ticked belo	ow, and shown aga	inst the rel	evant disability in the table below:
CONTRACTOR AND THE PROPERTY OF			AND THE STATE OF THE STATE OF	Control of the Contro
S. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
	Disability Locomotor disability		Diagnosis	The forest the second s
No.	Locomotor	Body	Diagnosis	The forest the second s
No.	Locomotor disability	Body.	Diagnosis	The forest the second s
No. 1 2	Locomotor disability Low vision	Body.	Diagnosis	The forest the second s
No. 1 2 3	Locomotor disability Low vision Blindness Hearing	Body # Both Eyes	Diagnosis	The forest the second s
No. 1 2 3 4	Locomotor disability Low vision Blindness Hearing impairment Mental	Body # Both Eyes £	Diagnosis	The forest the second s
No. 1 2 3 4 5	Locomotor disability Low vision Blindness Hearing impairment Mental retardation Mental-illness	Body # Both Eyes £ X	A	disability (in %)
No. 1 2 3 4 5 (B) In	Locomotor disability Low vision Blindness Hearing impairment Mental retardation Mental-illness the light of the a	Body # Both Eyes £ X	er all perma	The forest the second s
No. 1 2 3 4 5 (B) In guide	Locomotor disability Low vision Blindness Hearing impairment Mental retardation Mental-illness the light of the a	Body # Both Eyes £ X above, his /her over ified), is as follows:	er all perma	disability (in %)
No. 1 2 3 4 5 (B) In guide In fig	Locomotor disability Low vision Blindness Hearing impairment Mental retardation Mental-illness the light of the abilines(to be special	Body # Both Eyes f X X above, his /her ove ified), is as follows:	er all perma	disability (in %)

3. Reassessment of disabilit(i) not necessary,Or	y is:				
(ii) is recommended/ after	years	_months, and therefore this			
certificate shall be valid till (DD / MM / YY)					
@ - e.g. Left/Right/both ar		A			
# - e.g. Single eye/both eyes					
£ - e.g. Left/Right/both ear	S				
4. The applicant has submit	ted the following documen	t as proof of residence:-			
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate			
5. Signature and seal of the	Medical Authority.				
Name and seal of Member	Name and seal of Member	Name and seal of the Chairperson			
Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.					

Form-IV

Disability Certificate

(In cases other than those mentioned in Forms II and III) (NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE) (See rule 4)

(Showing face only) of the person with disability			
Certificate No.		Date:	
This is to certify that I have care	fully examined		
Shri/Smt./Kum			
son/ wife/daughter of Shri			
Date of Birth (DD / MM / YY)	Age	years, male/female	
Registration No	permanent resid	ent of House No	
Ward/Village/ Street	Pos	t Office	

and am satisfied that he/she is a case of ______ disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

____, whose photograph is affixed above,

S. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1	Locomotor disability	@		
2	Low vision	# ()		
3	Blindness	Both Eyes		
4	Hearing impairment	£		
5	Mental retardation	x	Committee of the second	
6	Mental-illness	X		

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

- 2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/ not likely to improve.
- 3. Reassessment of disability is:
- (i) not necessary,

Recent

Attested Photograph

PP

size

State

Or

(ii) is recommended/ afteryears	months, and therefore this certificate
shall be valid till (DD / MM / YY)	that therefore this certificate
@ - e.g. Left/Right/both arms/legs	
# - e.g. Single eye/both eyes	
£ - e.g. Left/Right/both ears	
4. The applicant has submitted the following do	cument as proof of residence:-

Date of Issue	Details of authority issuing
	certificate
	Date of Issue

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the

CMO/Medical Superintendent/Head of

Government Hospital, in case the

certificate is issued by a medical

authority who is not a government

servant (with seal)}

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District. Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 908(E), dated the 31st December, 1996.

आवश्यक नियम और निर्देश

- अधिसूचना में दिए सभी नियम एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आई.टी.आई फेल अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें।
- Engineering graduate एवं Diploma holders आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- अविदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑनलाईन आवेदन, आवेदन करने की अंतिम तिथि से काफी दिन पूर्व भर दें तािक वेबसाईट पर heavy load/jam के कारण आवेदन submit करने में किसी भी प्रकार की विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- 🕨 दस्तावेज सत्यापन के समय सिमट किए गए ऑनलाईन आवेदन की मूल प्रति साथ में लानी होगी।
- यदि आवेदक की स्वयं की वैध ई—मेल आई.डी न हो तो उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व स्वयं की वैध ई—मेल आई.डी बनानी आवश्यक है एवं इसे चयन प्रक्रिया के अंत तक बनाए रखना जरूरी है।
- े ऐसे अभ्यर्थी जिनका अधिसूचना जारी होने की तिथी पर 10वीं/आई.टी.आई की परीक्षा का परिणाम awaited है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक(राजपत्रित) द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4(समय—समय पर संशोधित)के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि केवल विज्ञापन के अनुसार ही पात्र उम्मीदवार आवेदन करें। वह विज्ञापन नोटिस को घ्यान से पढ़ लें। यदि उन्हें यह सन्तुष्टी है कि वे आवेदन की योग्यता की शर्ते पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वांछित दस्तावेज हैं तो ही वे एमपीआनलाईन के माध्यम से आवेदन करें। उम्मीदवार को अपना विवरण एक बार में ही भरना है। वह इसे पूर्ण रूप से भरने के उपरांत Preview देख लें। डाटा ठीक से भरने के लिए Reset option उपलब्ध है। फार्म Submit करने के पश्चात एक रजिस्ट्रेशन संख्या आवंटित की जाएगी जिसे नोट कर लें। भरे हुए आवेदन का Print out निकालकर अपने रिकार्ड और इस कार्यालय के भविष्य के प्रयोग के लिए अवश्य संभाल कर रखें। यह भी नोट करें कि एक बार Submit option क्लिक करने के बाद आवेदक अपने बायोडाटा का Preview या Reset नहीं कर सकता है।
- ▶ फोटो और हस्ताक्षर दिये गये फोर्मेट पूर्ण कर स्कैन करें, परन्तु इस JPEG इमेज का साइज 150—200 KB से अधिक न हो। फोटो नवीनतम होना चाहिए।
- आवेदक का बायोडेटा, उनके पिता से संबंधित जानकारियाँ व अन्य सभी जानकारियाँ वही होनी चाहिए जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में अंकित हो। 10वी, आई.टी.आई, आधार कार्ड में स्वयं का एवं पिता का नाम समान होना चाहिए।
- आवेदक के क्षेत्र के डाकघर का पिन कोड सही होना चाहिए।
- मोबाईल नं, ई—मेल आईडी दोनों स्वयं का होना चाहिए एवं वैध होना चाहिए।
- 🕨 दो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पहचान चिन्ह।
- > CBSE बोर्ड से पास हुए उम्मीदवारों को दसवीं में प्राप्तांक को CGPA से formula के तहत प्रतिशत में बदल कर भरना होगा।
- आई.टी.आई पास उम्मीदवार को सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंको के कुल प्राप्तांक दर्शाना आवश्यक होगा। यदि उम्मीदवार किसी भी एक सेमेस्टर के अंक नहीं दर्शाता है तो ऐसे आवेदन रद्द कर दिए जायेंगे।
- अपूर्ण भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
- सभी प्रकार के पत्राचार आवेदक के ई—मेल आईडी के माध्यम से किये जायेंगे। नियमित रूप से ई—मेल जाँचना आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मैंने उपरोक्त दिये गये सभी निर्देश पढ़ लिये हैं एवं मैं इनसे सहमत हूँ।